न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/358/2017

उनवान

1. श्री आशिक खां आत्मज श्री मोहम्मद युसूफ खां पठान निवासी ई–55 आर0के0कॉलोनी भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री अब्दुल अजीज आत्मज जब्बार खां पठान निवासी लालखां जी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा –– प्रत्यर्थी/वादी
2. अब्दुल सत्तार आत्मज रज्जाक खां पठान निवासी लालखां जी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. वारिस खां आत्मज अब्दुल शकूर खां पठान निवासी लालखां जी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
4. सीतारा बानो पुत्री अब्दुल शकूर खां पठान निवासी लालखां जी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
5. सलमा बानो बेवा अब्दुल शकूर खां पठान निवासी लालखां जी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
6. लियाकत खां आत्मज अब्दुल लतीफ खां पठान निवासी लालखां जी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
7. सदाकत खां आत्मज अब्दुल लतीफ खां पठान निवासी लालखां जी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
8. शाहिन परवीन पुत्री शोकत खां पठान निवासी लालखां जी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
9. ईकबाल खां आत्मज रफीक खां पठान निवासी लालखां जी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
10. मोहम्मद हनीफं आत्मज रफीक खां पठान निवासी लालखां जी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
11. खातून बेवा रफीक खां पठान निवासी लालखां जी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी माण्डल के प्रकरण संख्या
10/2015 निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 24.06.2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री संजय सेन , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री पुनीत शर्मा व दिनेश सिसोदिया अधिव0 प्र0सं0 1
3. श्री इमरान खान पठान अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 2 व 6
4. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.09.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 11 एक ही परिवार के सदस्य होकर इनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

जमाल खां(फौत)

जब्बार खां(फौत) रज्जाक(फौत) भूरेखां (फौत)

अजीजन अब्दुल अजीज अब्दुल रउफ (फौत)

अब्दुलसत्तार मो0युसुफ अब्दुल शकूर(फौत)

आशिक खां वारिसखां सितारा बानू सलमा बानू

अब्दुल लतीफ(फौत) रफीक(फौत)

लियाकतखां सदाकतखां शौकतखां (फौत) इकबालमो0 हनीफ खातून शाहीन परवीन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. वादीगण के द्वारा वाद में अंकित किया कि ग्राम स्टेशन नगर तहसील माण्डल में आराजी नम्बर 7593 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, आ0नं0 7596रकबा 1 बीघा03 बिस्वा, आ0नं0 7597रकबा 1 बीघा04 बिस्वा, आ0नं0 7598 रकबा 06 बिस्वा, आ0नं0 7599रकबा 17 बिस्वा, आ0नं0 7600रकबा 05 बिस्वा, आ0नं0 7605रकबा 04 बिस्वा, आ0नं0 7607रकबा 1 बीघा06 बिस्वा, आ0नं0 7722रकबा 1 बीघा03 बिस्वा, आ0नं0 7724रकबा 1 बीघा, आ0नं0 7839/1 रकबा 08 बिस्वा, आ0नं0 7842रकबा 04 बिस्वा, आ0नं0 7843रकबा 02 बिस्वा, कुल कीता 13 कुल रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि जमाल खां के तीनों लड़कों जब्बारखां, रज्जाकखां व भूरेखां के खातेदारी की थी। तीनों लड़कों का देहान्त हो गया और इनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 उक्त आराजीयात पर काबिज हो शामिल उपयोग उपभोग निरन्तर करते चले आ रहे हैं। प्रत्येक का 1/3 हिस्सा था व है।

3. उपरोक्त आराजीयात के साबिक आ0नं0 1240–1242–1248–1252–1255/1–1256/1–1264–1368/1 ख–1370/2क एवं 1368/1ग कुल कीता 10 कुल रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा तत्कालीन समय में ग्राम स्टेशन नगर का उद्गम न होने से ग्राम माण्डल में अवस्थित थी जिसमें जमाल खां के तीनों पुत्रों जब्बारखां, रज्जाकखां व भूरेखां तीनों का 1/3–1/3 समान हिस्सा निहित था। जब जब्बार खां का देहान्त हुआ तो जब्बारखां के हक हिस्से की आराजीयात स्वयं वादी व उसके भाई अब्दुल रउफ एवं माता अजीजन के नाम पर अभिलिखित हुई। अजीजन का निधन हो गया व मेरे भाई अब्दुल रउफ ने भी मुझ वादी के पक्ष में हक परित्याग कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 866 दिनांक 05.11.2012 वादी के पक्ष में फैसल हो चुका। इस प्रकार विवादित आराजीयात में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/3

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 से 11 का 1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं।

4. वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के मध्य संयुक्त दर्ज होने से आए दिन काश्त करने, लगान जमा कराने व भूमि को विकसित करने हेतु ऋण आदि लेने में परेशानी एवं विवाद होता रहता है। इसलिए वादी 1/3 हिस्से का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराने का अधिकारी है।

5. प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के द्वारा वादी को दिनांक 15.01.2015 को धमकी दी थी कि आराजीयात का बिना विभाजन कराये अपना हक व हिस्सा में विशिष्टता दर्ज करते हुए हस्तान्तरित कर देगें। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 11 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना है कि विभाजन की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमाई जावे कि ग्राम स्टेशन नगर की आराजीयात कीता 13 कुल रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा में वादी का 1/3 प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 6 से 11 का 1/3 हक हिस्से का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करा विभाजन से प्राप्त हिस्से का कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के सादिर फरमाई जावे कि विवादित आराजीयात के 1/3 हक हिस्से पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे व बिना विभाजन कराये अपने हक हिस्से को अन्य व्यक्तियों को रहन बय, बक्षीस कर हस्तान्तरित नहीं करे।

6. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 2 ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
शीलवाड़ा

7. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

8. बहस में वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प संतोकपुरा में दिनांक 24.06.2017 को पेश कर बिना मुझ अपीलार्थी का जवाब लिए तथा बिना सुने विधि विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

9. वकील अपीलार्थी का यह भी निवेदन है कि वादवर्णित आराजीयात जमालखांजी की थी। जमालखां के देहान्त के पश्चात उनके वारिसान जब्बारखां, रज्जाकखां व भूरेखां में निहित हुई। उक्त तीनों पुत्रों का देहान्त हो गया है। इनके मध्य करीब 60 वर्ष पूर्व बाहमी बटवाड़ा हो चुका था एवं इसी बटवाड़े अनुसार काबिज हो काश्त करते आ रहे हैं। रज्जाकखां के हिस्से में आ0नं0 7596, 7722 व 7593आंशिक रही। उक्त आराजी को रज्जाकखासां ने अपने तीनों पुत्रों अब्दुल सत्तार, मोहम्मद युसुफ व अब्दुल शकूर के मध्य सन् 1972 में ही विभाजन कर दिया। इस सम्बन्ध में दिनांक 16.08.1997 को लिखतम निष्पादित की। विभाजन में जो आराजी मोहम्मद युसुफ के हिस्से में आइ उसे अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 ने क्रय कर ली। इस प्रकार अपीलार्थी आराजी नम्बर 7722 व 7593 पर क्रय से काबिज हुआ। इस प्रकार आ0नं0 7593 में जब्बारखां व उनके वारिस अब्दुल अजीज का कोई हिस्सा नहीं रहा। अपीलार्थी को अपना पक्ष रखे व वास्तविकता तक पहुंचे बिना ही अधिनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय डिक्री पारित कर दी जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.06.2017 को निरस्त फरमावें व पुनः सुनवाई हेतु न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. रेस्पोडेन्टगण के अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत सुनवाई के पश्चात बटवाड़े हेतु वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी की है जो उचित होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

11. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण प्रतिवादी संख्या 2 से 12 की तलबी में नियत था। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय में बिना अपीलार्थी को सुने प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प संतोकपुरा में निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं का अध्ययन किया। प्रकरण 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वादी/प्रत्यर्थी संख्या 01 के द्वारा अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 व अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी कर आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 27.02.2015 नियत की गई। दिनांक 27.02.2015 को प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से श्री मुकेश वर्मा द्वारा , प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की ओर से श्री प्रदीप व्यास द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किए। प्रतिवादी संख्या 1 व 6 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी संख्या 3,5,9,10,11 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 व 12 की तलबी एवं जवाब प्रतिवादी हेतु आगामी दिनांक 10.03.2015 नियत की गई। दिनांक 10.03.2015 को प्रतिवादी संख्या 04 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 व 12 की तलबी एवं जवाब हेतु आगामी तारीख 24.03.2015 नियत की गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 24.03.2015 से तलबी एवं जवाब हेतु आगामी तारीख 10.04.2015, 15.05.2015 नियत की गई। पत्रावली में दिनांक 15.05.2015 की कोई आदेशिका संधारित नहीं कर सीधे ही दिनांक 30.06.2015 को पत्रावली कैम्प संतोकपुरा में प्रस्तुत होने की आदेशिका अंकित होकर आगामी दिनांक 18.09.2015 अंकित की गई। दिनांक 18.09.2015 से 18.12.2015 में संधारित आदेशिकाओं में पीठासीन अधिकारी के राजकार्य से बाहर होने व अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से आगामी तारीख 09.02.2016 नियत की गई। दिनांक 09.02.2016 , 15.03.2016, 10.05.2016, 18.10.2016, 18.11.2016,10.01. 2017,11.04.2017 की आदेशिकाएं प्रतिवादी संख्या 2 व 12 की तलबी एवं जवाब हेतु नियत होने से आगामी दिनांक तब्दील किए जाने का अंकन है। दिनांक 11.04.2017 को पीठासीन अधिकारी के राजकीय कार्य से बाहर होने से पत्रावली वास्ते प्रतिवादी संख्या 2 व 12 की तलबी हेतु आगामी दिनांक 25.04. 2017 नियत की गई। दिनांक 25.04.2017 की किसी प्रकार की आदेशिका संधारित नही किया जाना अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट होता है और सीधे ही प्रकरण दिनांक 24.06. 2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प संतोकपुरा पर पेश हुई। जिसमें अंकित किया कि वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी सं0 2 के सम्मन अदम तामील प्राप्त हुये किन्तु जरिये रजिस्टर्ड सम्मन प्राप्तकर्ता यानि प्रतिवादी सं0 2 क बाहर नौकरी करने से पुनः लौटा दिया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। इससे पूर्व भी सम्मन अदम तामील प्राप्त हुए। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प में प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने में भारी भूल की है। जबकि राजस्व लोक अदालत शिविर लगाने की राज्य सरकार की मंशा यही रही है कि पक्षकारान में आपसी सौहार्द एवं राजीनामें से प्रकरणों का अधिक से अधिक निस्तारण किए जावें परन्तु उक्त प्रकरण में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ऐसा कोई राजीनामा होना पत्रावली से प्रकट नहीं होता है। प्रकरण में वादी एवं कुल 11 प्रतिवादी हैं इनमें से केवल वादी के अधिवक्ता एवं प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेशिका पर हस्ताक्षर है शेष किसी भी पक्षकार के या प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं के कोई हस्ताक्षर नहीं है। यहां तक कि प्रकरण को सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत कैम्प संतोकपुरा में सुनवाई हेतु रखे जाने के सम्बन्ध में कोई सूचना पत्र जारी होना पत्रावली से प्रकट नहीं होता है।

12. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी सं0 2/अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी/प्रतिवादी संख्या 12 की तलबी एवं प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 7 व 8 के जवाब हेतु नियत होते हुए प्रकरण में न तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी का जवाब ही लिया एवं न ही प्रतिवादी सं02/अपीलार्थी की कोई तामील ही करवाई जबकि अपीलार्थी संयुक्त खातेदार है जिसे प्रकरण में अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की पूर्ण पालना किए बिना ही प्रकरण में सुनवाई करते हुए निर्णय पारित किया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.06.2017 को पारित किया जो विधि के तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

13. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.06. 2017 को निरस्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे एवं जवाब एवं दस्तावेज रेकार्ड पर लेकर विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.11.19 को उपस्थित रहें। पर्चा डिक्री जारी हो।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

14. निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/407/2018

उनवान

01.श्री आशिक खां आत्मज श्री मोहम्मद युसूफ खां पठान निवासी ई–55 आर0के0कॉलोनी भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

01.श्री अब्दुल अजीज आत्मज जब्बार खां पठान निवासी लालखां जी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा –– प्रत्यर्थी/वादी
02.अब्दुल सत्तार आत्मज रज्जाक खां पठान निवासी लालखां जी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
03.वारिस खां आत्मज अब्दुल शकूर खां पठान निवासी लालखां जी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
04.सीतारा बानो पुत्री अब्दुल शकूर खां पठान निवासी लालखां जी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
05.सलमा बानो बेवा अब्दुल शकूर खां पठान निवासी लालखां जी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
06.लियाकत खां आत्मज अब्दुल लतीफ खां पठान निवासी लालखां जी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
07.सदाकत खां आत्मज अब्दुल लतीफ खां पठान निवासी लालखां जी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
08.शाहिन परवीन पुत्री शोकत खां पठान निवासी लालखां जी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
09.ईकबाल खां आत्मज रफीक खां पठान निवासी लालखां जी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
10.मोहम्मद हनीफं आत्मज रफीक खां पठान निवासी लालखां जी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
11.खातून बेवा रफीक खां पठान निवासी लालखां जी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
12.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी माण्डल के प्रकरण संख्या
10/2015 निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 24.06.2017
अधिवक्तागण :–

1. श्री संजय सेन अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री पुनीत शर्मा, दिनेश सिसोदिया अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 1
3. श्री इमरान खान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 व 6
4. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

अपील में डिक्री

(आदेष 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/358/2017** मे **सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः

यह अपील तारीख 27.09..2019 को अपीलाण्ट्स की ओर से श्री संजय सेन प्रत्थर्थी संख्या 1 के वकील श्री पुनीत शर्मा व दिनेश सिसोदिया व प्रत्यर्थी संख्या 2 व 6 के अधिवक्ता श्री इमरान खान एवं प्रत्यर्थी संख्या 12 की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 27.09..2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.06.2017 को खारिज करते हुए अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 27.09..2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्की जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस